



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08022023-243528
CG-DL-E-08022023-243528

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 594]
No. 594]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 8, 2023/माघ 19, 1944
NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 8, 2023/MAGHA 19, 1944

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि और किसान कल्याण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2023

का. आ. 623(अ).—केंद्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :--

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2023 है।

(2) यह 1 मार्च, 2023 को प्रवृत्त होगा।

2. उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) के खंड 28 के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

“28क. नमूनों को अभिरक्षा में रखने के लिए अधिकारी की नियुक्ति—राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नमूनों की उसकी अभिरक्षा में रखने के लिए और दूसरे भाग को राष्ट्रीय जांच गृह में विश्लेषण के लिए तथा तीसरे भाग को रेफरी विश्लेषण के लिए भेजने के लिए, कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक से अनिम्न पंक्ति के किसी अधिकारी की नियुक्ति कर सकेगी।

28ख. निरीक्षक द्वारा नमूनों को निकाला जाना—(1) खंड 28 के उपखंड (6) के अधीन निरीक्षक द्वारा निकाले गए तीन भागों में से, पहले भाग को खंड 28 के अधीन अधिसूचित अधिकारी के प्रज्ञापन के अधीन राज्य निरीक्षक द्वारा राज्य सरकार की किसी अधिसूचित प्रयोगशाला में भेजेगा और दूसरे तथा तीसरे भाग को राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी की अभिरक्षा में रखेगा।

(2) कंपनी या अभिकर्ता, जिससे नमूना निकाला गया है, नमूना निकाले जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर, ऐसे प्राधिकारी से अनुरोध कर सकेगा कि समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा यथा अपवर्धित फीस के संदाय पर किसी राष्ट्रीय जांच गृह प्रयोगशाला को नमूने के दूसरे भाग को भेजे, पहले और दूसरे विश्लेषण के परिणामों में अंतर होने पर उक्त प्राधिकारी सदैव रेफरी के अंतिम विश्लेषण के लिए केंद्रीय उर्वरक क्वालिटी नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद को भेजेगा।

(3) केंद्रीय सरकार के निरीक्षक द्वारा नमूना निकाले जाने की दशा में, निरीक्षक द्वारा बनाए गए तीन भागों में से, पहला भाग मुंबई, कल्याणी या चेन्नई स्थित किसी क्षेत्रीय क्वालिटी नियंत्रण प्रयोगशाला को भेजेगा और दूसरे तथा तीसरे भाग को, यथास्थिति, चेन्नई कल्याणी या मुंबई स्थित क्षेत्रीय उर्वरक क्वालिटी नियंत्रण प्रयोगशाला के भारसाधक की अभिरक्षा में रखेगा।

(4) कंपनी या अभिकर्ता, जिससे नमूना निकाला गया है, ऐसे प्राधिकारी से एक सप्ताह के भीतर अनुरोध कर सकेगा कि समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा यथा अपवर्धित फीस के संदाय पर किसी राष्ट्रीय जांच गृह प्रयोगशाला को नमूने के दूसरे भाग को भेजे, पहले और दूसरे विश्लेषण के परिणामों में अंतर होने पर उक्त प्राधिकारी सदैव रेफरी के अंतिम विश्लेषण के लिए केंद्रीय उर्वरक क्वालिटी नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद को भेजेगा।

(5) प्रयोगशाला से प्राप्त रेफरी की विश्लेषण रिपोर्ट अंतिम मानी जाएगी।

(6) जहां खंड 32 के उपखंड (3) और खंड 32 के उपखंड (3) के अधीन अमानक उर्वरक के अपील को विचार में नहीं लिया गया है, तब, यथास्थिति, क्षेत्रीय उर्वरक क्वालिटी नियंत्रण प्रयोगशाला या अधिसूचित उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला की रिपोर्ट को अंतिम माना जाएगा।”।

3. उक्त आदेश के खंड 29 में, उपखंड (1) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:--

“(1) निरीक्षक द्वारा निकाला गया उर्वरक का नमूना अनुसूची II में अंतर्विष्ट अनुदेशों के अनुसार विश्लेषित होगा,--

(क) खंड 29ख के उपखंड (2) के अनुसार मुंबई, चेन्नई या कल्याणी स्थित क्षेत्रीय उर्वरक नियंत्रण प्रयोगशाला और मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, गाजियाबाद और जयपुर में स्थित राष्ट्रीय जांच गृह प्रयोगशाला में ; या

(ख) केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए अधिसूचित किसी प्रयोगशाला और खंड 29ख के उपखंड (4) के अनुसार मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, गाजियाबाद और जयपुर में स्थित राष्ट्रीय जांच गृह प्रयोगशाला में ;”।

4. उक्त आदेश के खंड 29ख के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:--

“29ख. केंद्रीय उर्वरक क्वालिटी नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद को खंड 28ख के उपखंड (1), उपखंड (2) और उपखंड (3) के अधीन उर्वरक के किसी नमूने के विश्लेषण के प्रयोजन के लिए रेफरी प्रयोगशाला के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।”।

5. उक्त आदेश के खंड 32 में,--

(i) उपखंड (2) का लोप किया जाएगा ;

(ii) उपखंड (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

“(3) उन दशाओं में, जहां कंपनी या अभिकर्तानिकुछ वैध कारणों से दूसरे विश्लेषण के लिए आवेदन नहीं किया है, तब कंपनी या अभिकर्ता, यथास्थिति, नमूने के पहले भाग की विश्लेषित रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख से सात दिनों के भीतर नियंत्रक को अपील कर सकेगा और नियंत्रक तथ्यों के आधार पर निर्णीत करेगा, चाहे मामला तीसरे विश्लेषण के लिए विचार किए जाने योग्य हो।”।

6. उक्त आदेश के खंड 32क में,--

(i) उपखंड (2) का लोप किया जाएगा ;

(ii) उपखंड (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

“(3) उन दशाओं में, जहां कंपनी या अभिकर्तानिकुछ वैध कारणों से दूसरे विश्लेषण के लिए आवेदन नहीं किया है, तब कंपनी या अभिकर्ता, अपीलीय प्राधिकारी को, उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 में अपील कर सकेगा और अपीलीय प्राधिकारी तथ्यों के आधार पर निर्णीत करेगा, चाहे मामला तीसरे विश्लेषण के लिए विचार किए जाने योग्य हो।”।

7. उक्त आदेश की अनुसूची II, भाग क में, पैरा 6 के उप-पैरा (iv) का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 1-16/2022-उर्वरक विधि]

प्रिय रंजन, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 758(अ) तारीख 25 सितंबर, 1985 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4638(अ), तारीख 30 सितंबर, 2022 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE**(Department of Agriculture and Farmers Welfare)****ORDER**

New Delhi, the 8th February , 2023

S.O. 623(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order, 1985, namely:-

1. (1) This Order may be called the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Amendment Order, 2023.

(2) It shall come into force on the 1st day of March ,2023 .

2. In the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order, 1985 (hereinafter referred to as the said Order), after clause 28, the following clauses shall be inserted, namely:-

“ 28A Appointment of officer for keeping the sample in custody .

The State Government may, by notification in Official Gazette, appoints an officer not below the rank of Joint Director of Agriculture Department for keeping the samples in its custody and for sending the second part for analysis to National test House and the third part for referee analysis.

28 B. Sample drawn by the Inspector

(1) Out of three parts made by the Inspector drawn under sub- clause (6) of clause 28, the first part shall be sent to any of the State Government notified lab by the state Inspector under intimation to the officer notified under clause 28 A and the second part and third part shall be kept in custody of officer nominated by the State Government.

(2) The company or dealer, from whom sample is drawn may request to such authority within one week from the date of drawal of sample, to send the second part of the sample to any of the National Test House Laboratories on payment of fees as provided by the Central Government from time to time and in case, there is variation in the results of the first and second analysis, then the said authority invariably shall send the third part of the sample to Central Fertiliser Quality Control and Training Institute, Faridabad for final referee analysis.

(3) In case where the sample is drawn by the Central Government Inspector then out of three parts made by the Inspector, the first part shall be sent to any of the Regional Quality Control Laboratory at Mumbai, Kalyani or Chennai and , the second part and third part shall be kept in custody of incharge of the Regional Fertiliser Quality Control Laboratory at Chennai, Kalyani or Mumbai as the case may be.

(4) The company or dealer, from whom sample is drawn may request within one week to such authority to send the second part of the sample to any of the National Test House Laboratories on payment of fees as provided by the Central Government from time to time and in case, there is variation in the result of the first and second analysis, then such authority invariably send the third part of the sample to Central Fertiliser Quality Control and Training Institute, Faridabad for final referee analysis.

(5) The referee analysis report received from the laboratory shall be treated as final.

(6) In case, where the appeal of non- standard fertiliser under sub –clause (3) of clause 32 and sub –clause (3) of clause 32A have not been considered then the report of the regional fertiliser Quality Control Laboratory or the notified Fertiliser Testing Laboratory , as the case may be shall be treated as final.”.

3. In the said Order, in clause 29, for sub-clause 1, the following shall be substituted , namely,--

“(1) A fertilizer sample drawn by an Inspector, shall be analysed in accordance with the instructions contained in Schedule II-

- (a) in regional fertilizer control laboratories at Mumbai, Chennai or Kalyani (Kolkata) and the National Test House Laboratories at Mumbai, Chennai, Kolkatta, Ghaziabad and Jaipur as per sub- clause (2) of clause 28B; or
- (b) in any laboratory notified for this purpose by the State Government with the prior approval of the Central Government and the National Test House Laboratories at Mumbai, Chennai, Kolkatta, Ghaziabad and Jaipur as per sub- clause (4) of clause 28B;

4. In the said Order, for clause 29 B, the following clause shall be substituted, namely;

“ 29 B. The Central Fertiliser Quality Control and Training Institute, Faridabad shall be designated as referee laboratory for the purpose of analysis of any sample of fertiliser under sub-clauses (1), (2) and (3) of clause 28 B.”

5. In the said Order, in clause 32,-

- (i) the sub-clause (2) shall be omitted;
- (ii) for sub-clause (3), the following sub- clause shall be substituted, namely,-

“(3) in cases where the company or dealer has not applied for the second analysis due to some valid reason then the company or dealer may made an appeal to the Controller , as the case may be, within seven days from the date of receipt of analysis report of first part of the sample and the Controller shall decide on the grounds of the facts whether the matter qualifies to be considered for third analysis”.

6. In the said Order, in clause 32 A,

- (a) the sub-clause (2), shall be omitted;
- (b) for sub-clause (3), the following sub- clause shall be substituted, namely,-

“(3) In cases where the company or dealer has not applied for the second analysis due to some valid reason then the company or dealer may made an appeal in the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order, 1985 to the Appellate authority and the Appellate Authority shall decide on the grounds of the facts whether the matter qualifies to be considered for third analysis”.

7. In the said Order, in Schedule II, PART A, in paragraph 6, the sub-paragraph (iv), shall be omitted.

[F. No. 1-16/2022 Fert. Law]

PRIYA RANJAN Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (II), *vide* notification no G.S.R 758(E), dated 25th September, 1985, and was last amended *vide* notification number S.O 4638(E) dated 30th September, 2022.